प्रकरण सं0 06/2021 तारीख दायर :–11.08.2021 दिनांक निर्णय :–01.09.2021

पटवारी हल्का सुरेर **बनाम** मोहरपाल

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थी का अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजराजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मोहरपाल पुत्र बिरदीचन्द मीना द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 24.08.2021 को प्रस्तुत किया जिसमें आ0ख0न0 1251 रकबा 40.75 किस्म गैर मु0 पहाड़ चारागाह में से 0.40 हे0 वाके ग्राम सुरेर में अपना पुराना कब्जा बुर्जुगान के समय से होना लिखित में प्रस्तुत किया। न्यायहित में सुनवाइ एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया किन्तु अतिक्रमी अपना पुराना कब्जा हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अतिक्रमी की मंशा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में पक्की दिवार का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। आज बावजूद सूचना के अतिक्रमी अनुपस्थित रहा है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी श्री मोहरपाल पुत्र बिरदीचन्द मीना निवासी ग्राम गोठ को आराजी ख0न0 1251 रकबा 40.75 हे0 में से 0.10हे0 किस्म गैर मु0 पहाड़ चारागाह वाके ग्राम सुरेर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 0.80 की 50 गुणा में मु0 40.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सुरेर को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 01.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 11 प.उ. सि.च.40/-
राशि कायम किये गये।
(हस्ताक्षर)
त. रा. लेखाकार

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)